न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 111/2016

उनवान

1. घासी सिंह पुत्र छोगा सिंह,
2. रमती पत्नी छोगा सिंह जाति रावत नि. धोलादांता न्यारा, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री रमेश सिंह रावत

बनाम

1. लक्ष्मण सिंह,
2. हीरा सिंह,
3. बिरू सिंह,
4. छोटू सिंह पि0 उगमा,
5. गोपाल,
6. कूका,
7. जय सिह पि0 हजारी
8. जडाव पुत्री हजारी जाति रावत नि0 धोलादांता न्यारा नसीराबाद
9. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 8 अनुपस्थित
9 जरियें राज. पैराकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 17.9.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प.म. धोलादांता न्यारा के खाता संख्या 215/228 किता 11 रकबा 1.20, 12/12 किता 2 रकबा 0.13, 13/13 किता 3 रकबा 0.52 व 7/11 किता 6 रकबा 0.62 की आराजी वादी की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की है। उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण पुश्तैनी रूप से प्राप्त अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी व हाल जमाबंदी में दर्ज खातेदारों के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता छगना के नाम दर्ज होकर हाल रिकार्ड मे अपने–अपने हिस्से अनुसार दर्ज होना था परन्तु हाल व वंर्किग रिकार्ड छगना के वारिसों के नाम दर्ज हो गया। किन्तु हिस्से के अनुसार दर्ज नही हो कर किी के ज्यादा व किसी के कम रकबा दर्ज हो गया। जिसे दुरूस्त कर वंर्किग व हाल रिकार्ड में छगना के नाम दर्ज कर उनकी मृत्यु पश्चात उनके वारिसों के नाम दर्ज होना है। अतः अराजी मुतनाजा पर छगना के हिस्से की सम्पूर्ण [illegible] वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम बराबर हिस्से में दर्ज की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये [illegible] निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर [illegible] नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:30:38 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा कोई भी त्रुटिपूर्ण इन्द्राज रिकार्ड में नही किया गया है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर काबिज है। वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन भी नही है। अतः वाद खारिज किया जावे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल इन्द्राज वंर्किग जमाबंदी के अनुसार ही दर्ज हुआ है। वाद अस्वीकार योग्य है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया वादीगण वादग्रस्त आराजियात में खातेदारों के नाम त्रुटिपूर्ण होने से दुरूस्ती का अधिकारी है ?

—— वादीगण

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी घासी सिंह गवाह जय सिंह, रतन सिंह व रामदेव सिंह का शपथ पत्र पेश किया।

प्रकरण विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 से 8 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :—

तनकी संख्या 1 व 2 :—

उक्त दोनो तनकी एक दूसरे से संबधित होने के कारण दोनो तनकी का निर्णय साथ में किया जा रहा है। ग्राम व प.म. धोलादांता न्यारा के खाता संख्या 215/228 किता 11 रकबा 1.20 हाल राजस्व अभिलेख में हजारी पुत्र छगना के नाम खातेदारी दर्ज थी जो जरियें विरासत नामान्तकरण संख्या 130 दिनांक 19.05.15 से उसके विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 5 से 8 के नाम दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 20 रकबा 0.10 की आराजी तत्कालीन खातेदार हजारी पुत्र छगना ने मोड सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह को बैचान कर दी जिसका नामान्तकरण क्रेता के नाम दर्ज हो गया है। वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 20 के क्रेता/खातेदार को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। खाता संख्या 12/12 किता 2 रकबा 0.13 व खाता संख्या 13/13 किता 3 रकबा 0.52 की आराजी हाल राजस्व अभिलेख में उगमा पुत्र छगना के नाम खातेदारी दर्ज है। उगमा की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 4 है। खाता संख्या व 7/11 किता 6 रकबा 0.62 की आराजी उगमा व छोगा पि. छगना के नाम दर्ज है। उगमा के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व छोगा के वारिस वादीगण है। वादीगण हाज जामबंदी के उक्त सभी इन्द्राज को त्रुटिपूर्ण बताते है तथा उनका कथन है कि आराजी मुतनाजा छगना पुत्र कल्ला की खातेदारी होने के कारण उक्त समस्त आराजी पर वादीगण को हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जावे। किन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिसमें आराजी मुतनाजा छगना पुत्र कल्ला के नाम दर्ज हो वादीगण द्वारा प्रस्तुत वंर्किग जमाबंदी में खाता संख्या 12/12 की आराजी हाल जमाबंदी अनुसार अकेले उगमा पुत्र छगना के नाम दर्ज है। खाता संख्या 7/11 की आराजी हाल जमाबंदी अनुसार उगमा व छोगा पि. छगा के नाम दर्ज है। शेष आराजी की वंर्किग जमाबंदी वादीगण द्वारा प्रस्तुत नही की गयी है। इसी प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 के खाता संख्या 117, 127, 4/30 में आराजी मुतनाजा हजारी पुत्र छगना के नाम दर्ज है। उक्त जमाबंदी में वादीगण के पिता अथवा दादा का नाम दर्ज नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से आराजी मुतनाजा पुश्तैनी सिद्व नही होती है। आराजी मुतनाजा का [illegible] इन्द्राज पूर्व जमाबंदी अनुसार ही होने से वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्ध नही होता है। [illegible] वादीगण बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:30:38 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

धासी बनाम लक्ष्मण

दावा बाबत :– 88 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राज. अधि 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 111/2016
पेश करने की दिनांक – 30.06.2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक मुददई रमेश रावत अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

उक्तानुसार ग्राम व पटवार मण्डल धोलादांता न्यारा के खाता संख्या 215/228 किता 11 रकबा 1.20, 12/12 किता 2 रकबा 0.13, 13/13 किता 3 रकबा 0.52 व 7/11 किता 6 रकबा 0.62 की आराजी पर वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17 माह 9 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बावत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:30:38 IST
Reason: SelfAttested